राजस्व वाद संख्याः– 120/2021
ओमप्रकाश वगै0 बनाम संतोष आदि
निर्णय दिनांकः– 23.06.2022.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 120/2021

1. ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल जाति मेघवाल, निवासी ढढारिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
2. गुलझारी पुत्र सोहनलाल जाति मेघवाल, निवासी ढढारिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
3. धर्मपाल सिंह पुत्र सोहनलाल जाति मेघवाल, निवासी ढढारिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
4. सुमेरसिंह पुत्र रतिराम जाति मेघवाल, निवासी ढढारिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
5. लीलाधर पुत्र चुन्नीलाल जाति मेघवाल, निवासी ढढारिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

– वादीगण

बनाम

1. संतोष देवी पत्नी स्व0 बनवारी जाति मेघवाल, निवासी ढढारिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
2. संजय पुत्र बनवारी जाति मेघवाल, निवासी ढढारिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
3. नरेन्द्र पुत्र बनवारी जाति मेघवाल, निवासी ढढारिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
4. मंजू पुत्री बनवारी जाति मेघवाल, निवासी ढढारिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
5. सरोज पुत्र बनवारी जाति मेघवाल, निवासी ढढारिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
6. पूजा पुत्री बनवारी जाति मेघवाल, निवासी ढढारिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
7. कविता पुत्री बनवारी जाति मेघवाल, निवासी ढढारिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
8. कुरड़ाराम पुत्र चिमना जाति मेघवाल, निवासी ढढारिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
9. कमली पुत्री शांति पुत्री चिमना जाति मेघवाल, निवासी ढढारिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

10. चुकली पुत्री शांति पुत्री चिमना जाति मेघवाल, निवासी ढढारिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
11. शारदा पुत्री शांति पुत्री चिमना जाति मेघवाल, निवासी ढढारिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
12. भतेरी पुत्री चिमना जाति मेघवाल, निवासी ढढारिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
13. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
14. उप पंजियक अधिकारी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
15. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पिलानी जरिये शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक – 23.08.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क)यह कि कृषि भूमि खसरा न0 357 रकबा 3.48 है0 व खसरा न0 360 रकबा 1.32 है0, ग्राम ढंढारिया में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त किया जावें।

(ख)यह कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो उपरोक्त वर्णित भूमि को रहन, विक्रय ना करे व ना ही किसी प्रकार का कोई चार्ज ही दायर करे ना ही भूमि को खुर्द बुर्द ही करे।

(ग)यह कि मुकदमा खर्चा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ)यह कि अन्य सिद्दि जो चाहे जाने से रह गई हो जो दौराने दावा उत्पन्न हो वो भी वादीगण को दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 12 की ओर से श्री सन्दीप कुमार एडवोकेट ने वकालतनामा एवं इकबालिया जवाब पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादी वकील ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 का इकबालिया जवाब।

राजस्व वाद संख्याः– 120/2021
ओमप्रकाश वगै0 बनाम संतोष आदि
निर्णय दिनांकः– 23.08.2022.

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील पक्षकारान ने दावे में चाही गई सिद्वियों के अनुसार डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख0न0 357 रकबा 3.48 हैक्टर व ख0न0 360 रकबा 1.32 हैक्टर स्थित ग्राम ढंढारिया तहसील सूरजगढ में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 प्रत्येक को 1/2 – 1/2 बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वाद वादी डिकी किया जाता है । उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है तथा बैक रहन हिस्से अनुसार बदस्तुर दर्ज करे।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः– 120/2021
ओमप्रकाश वगै0 बनाम संतोष आदि
निर्णय दिनांकः– 23.08.2022.

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 120/2021

निर्णय दिनांक :– **23-08-2022**

ओमप्रकाश वगै0 **बनाम** संतोष वगै0

दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री भारत भूषण शर्मा एड0** व प्रतिवादी सं. 01 लगायत 12 की ओर से **श्री संदीप कुमार एडवोकेट** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **23.08.2022** को **राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख0न0 357 रकबा 3.48 हैक्टर व ख0न0 360 रकबा 1.32 हैक्टर स्थित ग्राम ढंढारिया तहसील सूरजगढ में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 प्रत्येक को 1/2 – 1/2 बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वाद वादी डिक्री किया जाता है । उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है तथा बैक रहन हिस्से अनुसार बदस्तुर दर्ज करे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **23.08.2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़